सं. 402/92/2006-एमसी (2009 का 23)
भारत सरकार/वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
***

नई दिल्ली दिनांक 6 अक्टूबर 2009

प्रेस विज्ञप्ति

कई सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई है कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मेल प्राप्त हो रहे हैं जिनमें उन्हें उनके आयकर रिफंड की सूचना दी जा रही है और उनके क्रेडिट कार्ड के विवरण मांगे जा रहे हैं। ई-मेल निम्नलिखित या इसी प्रकार के मेलिंग पते से भेजे जाते हैं-

< lhxbkw@accounts.net > या < cvhfvs@accounts.net >

यह स्पष्ट किया जाता है कि आयकर विभाग रिफंड के संबंध में ईमेल नहीं भेजता है और करदाताओं के क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं मांगता है।

अतः, करदाताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है कि उन्हें ऐसे मेल का उत्तर नहीं देना चाहिए और यदि वे ऐसा करते हैं तो यह उनके जोखिम और उत्तरदायित्व पर होगा।

XXX